संख्या:43 / 2018 / 3219 / 12-2-2018-108 / 2017

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 12 अक्टूबर, 2018

विषय: उत्तर प्रदेश में नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग के पत्र संख्या- जीआई-67 कृशिअ-18 दिनांक 05 अक्टूबर, 2018 की संलग्न प्रति का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रि परिषद की बैठक दिनांक 14 नवम्बर, 2017 में जनपद मुरादाबाद तथा रायबरेली में कृषि विज्ञान केन्द्रों क की स्थापना हेतु भूमि हस्तान्तरण आदि के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय लिए जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी को अधिकृत किया गया है। अत: उक्त के क्रम में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा जनपद मुरादाबाद तथा रायबरेली में कृषि विज्ञान केन्द्रों स्थापना का निर्णय लिया गया है:-

क्र0सं0	केन्द्रों के जनपद	भूमि का हस्तान्तरण करने वाला विभाग	चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल	चिन्हित भूमि का विवरण	संचालित करने वाली संस्था	भूमि हस्तान्तरण करने वाले विभाग की सहमति / अनापत्ति / आपत्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	मुरादाबाद	कृषि विभाग	12.00 है0	राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, मलपुरा	कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ	अनापत्ति
2	रायबरेली	कृषि विभाग	9.20 है0	राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, पल्टीखेडा, विकास खण्ड सरेनी, तहसील, लालगंज	कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,कानपुर	अनापत्ति

3. उक्तानुसार उल्लिखित क्षेत्रफल / विवरण की भूमि इस शर्त के साथ हस्तान्तरित की जा रही है कि भूमि यदि कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना किए जाने से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है तो उसके लिए मूल विभाग से पुन:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुमोदन प्राप्त करना होगा और यदि भूमि की आवश्यकता न हो या हस्तान्तरित भूमि कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस की जायेगी।

4. अत: कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उक्तानुसार अंकित संस्थाओं को भूमि हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में तत्काल अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

5. कृपया उक्त निर्देशों का तत्काल कडाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या:43/2018/3219(1)/12-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. जिलाधिकारी, मुरादाबाद एवं रायबरेली।
3. जिला कृषि अधिकारी, मुरादाबाद एवं रायबरेली।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।